न्यायालय जिला कलेक्टर, दौसा

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

पीठासीन अधिकारी– नरेश कुमार शर्मा
आई0ए0एस0

निगरानी सं0 03/2009

लक्ष्मण पुत्र श्री रामलाल मीणा जाति मीणा निवासी मूनापुरा ग्राम पंचायत कोट पंचायत समिति महवा जिला दौसा राजस्थान ... प्रार्थी

बनाम

1. स्थाई एवं प्रशासन समिति महवा जरिये अध्यक्ष जिला दौसा
2. ग्राम पंचायत कोट जरिये सरपंच पंचायत समिति महवा जिला दौसा
3. रंगलाल पुत्र श्री बंशीलाल जाति मीणा निवासी मूनापुरा तहसील महवा जिला दौसा ...अप्राथी

निगरानी अन्तर्गत धारा 97 राज0 पंचायत राज0 अधि0 1994
विरुद्ध आदेश स्थाई एवं प्रशासन समिति पं0 सं0 महवा
दिनांक 11.11.2002 उनवान रंगीलाल बनाम लक्ष्मण

उपस्थितः 1. श्री सतीश पारीक, अधिवक्ता निगरानीकार

निर्णय

दिनांक 27.06.18

संक्षिप्त विवरण निगरानी अन्तर्गत धारा–97 राजस्थान पंचायत राज अधिनियम इस प्रकार है कि ग्राम पंचायत कोट पंचायत समिति महवा द्वारा आदेश दिनांक 11.11.2002 से जारी पट्टा दिनांक 20.07.75 निरस्त कर दिया गया। इसी आदेश से असंतुष्ट होकर यह निगरानी पेश की गई है।

निगरानी दर्ज रजिस्टर की गई । अप्रार्थींगण को तलब किया गया । अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली मंगवायी गयी । बहस प्रार्थी सुनी गई।

विद्वान अधिवक्ता निगरानीकार/प्रार्थी लिखित बहस पेश नहीं करना चाहते है। उनकी मौखिक बहस में दलील है कि ग्राम पंचायत कोट ने पुरानें कब्जे के आधार पर प्रार्थी को एक आवासीय भूखण्ड का पटटा दिनांक 20.07.75 को विधिवतरूप से जारी किया, पट्टे में वर्णित भूखण्ड का कुल क्षेत्रफल 61.25 वर्ग गज है। प्रार्थी उक्त पटटे के आधार पर उक्त भूखण्ड पर आज तक काबिज है। प्रार्थी ने नियमानुसार दिनांक

31.03.1975 को आवेदन किया जिस पर मिशल सं0 18 कायम की जाकर निर्णय लिया गया, प्रार्थी से रसीद सं0 33 द्वारा दिनांक 20.07.1975 को रू0 29.66 लिये जाकर पट्टा दिया गया। स्थाई एवं प्रशासन समिति पंचायत समिति महवा ने आदेश दिनांक 11.11.2002 द्वारा ग्राम पंचायत कोट द्वारा जारी पट्टा दिनांक 20.07.75 विधि विरुद्ध एवं रिकॉर्ड के विपरीत निरस्त कर दिया गया। रंगी लाल के पारिवारिक प्रभाव से समिति द्वारा विपक्षी को सिविल न्यायालय में राहत दिलाने व प्रार्थी को झूंठे मुकदमें में फॅसाने की बदनियति से पारित किया गया है। अतः प्रार्थी की निगरानी स्वीकार की जाकर स्थाई एवं प्रशासन समिति पंचायत समिति महवा के आदेश दिनांक 11.11.2002 को निरस्त किया जावें।

अप्रार्थी की ओर से कोई उपस्थित नहीं होने से निगरानीकार की इकतरफा बहस सुनी गई एवं गुणावगुण के आधार पर प्रकरण का निस्तारण करना उचित समझते हुए बहस पर मनन किया गया एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया। ''ग्राम पंचायत पत्रावली में अंकित प्रोसिंडिग दिनांक 11.11.2002 के अनुसार पट्टे में अंकित रसीद संख्या 33 दिनांक 20.07.75 के द्वारा 9.60 रु0 पंचायत कोष में जमा होना बतलाया है जबकि रसीद संख्या 33 दिनांक 01.12.74 द्वारा राशि रु0 172.20 जनता ग्राम कोट द्वारा राशन कार्डो के जमा कराये गये है। दिनांक 15.07.75 को बैठक में कोरम के अभाव में कोई निर्णय नहीं लिया गया। अतः उक्त तथ्यों के आधार पर ग्राम पंचायत कोट द्वारा पट्टा जारी नहीं करना प्रतीत होता है। अंकित किया जाकर पट्टे को कूट रचना फर्जी मानते हुए पट्टे को खारिज किया जाने का सर्व सम्मति से निर्णय लिया गया है। साथ ही सरपंच व सचिव द्वारा ग्राम पंचायत कोट द्वारा लक्ष्मण पुत्र रामलाल मीना को सन् 1975 में कोई पट्टा जारी करना नहीं बताया है।'' इस प्रकार ग्राम पंचायत की समस्त कार्यवाही से स्पष्ट होता ग्राम पंचायत द्वारा प्रश्नगत पट्टा जारी ही नहीं किया न ही ग्राम पंचायत के पास कोई रिकॉर्ड संधारित है। पंचायत के आदेश में हस्तक्षेप की कोई आवश्यकता प्रतीत नहीं होती है। ऐसी स्थिति में निगरानी खारिज योग्य है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर निगरानीकर्ता की निगरानी अस्वीकार की जाकर खारिज की जाती है। ग्राम पंचायत का आदेश यथावत रखा जाता है। बाद पूर्ति पत्रावली प्रविष्ठ लेख भण्डार हो ।

(नरेश कुमार शर्मा)
जिला कलेक्टर, दौसा

निर्णय आज दिनांकः 27 जून, 2018 को लिखवाया जाकर मेरे हस्ताक्षरित एवं न्यायालय की मुद्रांकित खुले न्यायालय सुनाया गया ।

(नरेश कुमार शर्मा)
जिला कलेक्टर, दौसा
जिला कलेक्टर, दौसा

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official